सं.प्रशा./हि.क./101/वा.का./18-19
कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक
उदयन विहार, नारंगी
गुवाहाटी- 781171
दिनांक: 04/05/2018

सेवा में

प्रभारी अधिकारी

1. मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग — All Sections of M.O.
2. समस्त अधीनस्थ कार्यालय — All Sub-Offices
   (मानक सूची के अनुसार)

विषय: संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2017-2018 के लिए वार्षिक कार्यक्रम ।

वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक कार्यक्रम को राजभाषा विभाग के पोर्टल www.rajbhasha.nic.in से डाउनलोड किया गया है ।

2. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मदों पर निर्धारित लक्ष्यों एवं मुख्य बातों का सार एतदद्वारा आवश्यक सूचना, मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु संलग्न किया जाता है ।

3. अनुरोध है कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए तथा अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जाए तथा कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में इस पर चर्चा की जाए । कृपया वार्षिक कार्यक्रम की अनुपालन संबंधी कार्रवाई रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के अंत में इस कार्यालय को भेजी जाए ताकि वार्षिक कार्यक्रम से संबन्धित वार्षिक समेकित अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय कार्यालय को भिजवाई जा सके ।

4. वर्ष 2018-19 का वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग के पोर्टल www.rajbhasha.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।

5. कृपया पावती सूचना दे ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

एस. दे सरकार

(एस. दे सरकार)
व. लेखा अधिकारी (प्रशा.)

प्रतिलिपि प्रेषित :-

सभी अधिकारी गण (नाम से)
मुख्य कार्यालय All officers of M.O.

— ई०xx/sd —

(एस. दे सरकार)
व. लेखा अधिकारी (प्रशा.)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

2018-19

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए

वार्षिक कार्यक्रम

ANNUAL PROGRAMME

FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF THE UNION IN HINDI

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन	1-5
2.	राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश	6-12
3.	हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2018-19 का वार्षिक कार्यक्रम	13-15

प्राक्कथन

दिनांक 18 जनवरी, 1968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प में यह व्यक्त किया गया है कि:

"यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए गए उपायों एवं की गई प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी....."

उक्त संकल्प के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों द्वारा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिंदी के प्रसार और प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है । इसके लिए हिंदी बोले जाने और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर जिन तीन क्षेत्रों के रूप में देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है, उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष 2018-19 का वार्षिक कार्यक्रम इसी क्रम में जारी किया जा रहा है । इन तीनों क्षेत्रों, यथा - 'क','ख' और 'ग' का विवरण इस प्रकार है:-

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
क	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र।
ख	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ।
ग	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में प्रगति हुई है, किंतु अब भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं । सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है किंतु अभी भी बहुत-सा काम अंग्रेजी में हो रहा है। लक्ष्य यह है कि सरकारी कामकाज में सामान्यत: हिंदी का प्रयोग हो । यही संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जनता की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी ।

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2018-19 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद ।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%

13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%		

विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए कार्यक्रम

(क)	हिंदी में पत्राचार (भारत/ विदेश स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ)	50%
(ख)	फाइलों पर हिंदी में टिप्पण	50%
(ग)	वर्ष के दौरान नराकास की आयोजित बैठकों की संख्या (नराकास का गठन किसी नगर में केंद्र सरकार के 10 कार्यालय या अधिक होने की स्थिति में किया जाए)	वर्ष में कम से कम 02 बैठकें
(घ)	वर्ष के दौरान विराकास (विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की आयोजित बैठकों की संख्या (विराकास का गठन कार्यालय-अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जाए)	वर्ष में कम से कम 4 बैठकें
(ङ)	कंप्यूटरों सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी उपलब्धता	100%
(च)	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी / आशुलिपिक	प्रत्येक कार्यालयों में कम से कम एक
(छ)	दुभाषियों की व्यवस्था	प्रत्येक मिशन/दूतावास में स्थानीय भाषा से हिंदी में और हिंदी से स्थानीय भाषा में अनुवाद के लिए दुभाषिए की व्यवस्था की जाए।